पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN:- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
E-mail:- hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 1518/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/जी–8 दिनांक :24.08.2024

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की 19वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त विभागीय अपीलीय अधिकारी,
पिटकुल,..................................।

समस्त लोक सूचना अधिकारी,
पिटकुल, ...।

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 4274/स्था0/उ.सू.आ./2024–25 दिनांक 01.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की 19वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लोक सूचना अधिकार–2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में हेतु मा0 आयोग द्वारा इच्छुक लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों से आवेदन पत्र चाहे गये हैं। **(आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है)**

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया इच्छुक लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी मा0 आयोग द्वारा पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये मा0 आयोग द्वारा निर्धारित **अन्तिम तिथि 15.09.2024 तक निर्धारित प्रारूप पर** आवेदन करने का कष्ट करें। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी उक्त हेतु आवेदन करता है तो आवेदन के उपरान्त एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर–निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चत करें।

संलग्नः–यथोपरि

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.uk.gov.in

पत्रांक 4274 /स्था0/उ0सू0आ0/2024–25 दिनांक 01.08.2024

सेवा में,

1. समस्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख कार्यालय उत्तराखण्ड।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की 19वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी को सम्मानित किये जाने के संबंध में।

No. 2736 /MD/PTCUL/ RTI Dt. 23/8/24

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की 19वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु इच्छुक लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपना आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 15.09.2024 तक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा अथवा आयोग के ईमेल secy-uic@gov.in के माध्यम से प्रेषित किया जाना है। आवेदन पत्र का प्रारूप व चयन की प्रकिया आयोग की वेबसाइट http://uic.uk.gov.in पर देखी जा सकती है।

उपरोक्त संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को आपसे यह अनुरोध करने के निदेश हुए हैं कि कृपया विभाग में कार्यरत समस्त लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी को उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव

HR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 1574
File
Date 24/8/24

पत्रांक /स्था0/उ0सू0आ0/2024–25 दिनांक , 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. निजी सचिव, मा0 प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव

DyCPO / Shri Kamal, OS
24/8/24

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी रूप से कियान्वयन हेतु उत्कृष्ठ कार्य करने वाले विभागीय अपीलीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किये जाने हेतु आवेदन का प्रारूप

1.	कार्मिक का नाम		
2.	पदनाम		
3.	विभाग का नाम		
4.	कार्यालय का नाम व पूर्ण पता जहाँ कार्यरत हैं		
5.	मोबाइल नम्बर		
6.	ईमेल आई0डी0		
7.	सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधान का अनुपालन किस रूप में किया गया है (विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी)		
8.	विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में किये गये कार्यों का विवरण		
	a.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में कुल प्राप्त प्रथम अपील	
	b.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में कुल निस्तारित प्रथम अपील	
	c.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में कुल निस्तारित प्रथम अपील के विरुद्ध आयोग में प्राप्त कुल शिकायत/द्वितीय अपील की संख्या	
	d.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध की गयी टिप्पणी/संस्तुति की संख्या	
	e.	विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में किये गये विशेष कार्य का विवरण (अधिकतम 200 शब्दों में) –	

8.	लोक सूचना अधिकारी के रूप में किये गये कार्यो का विवरण –		
	a.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों की संख्या	
	b.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों के सापेक्ष निस्तारित अनुरोध पत्रों की संख्या	
	c.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों के सापेक्ष हुई प्रथम अपीलों की संख्या	
	d.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों के सापेक्ष हुई द्वितीय अपीलों/शिकायतों की संख्या	
	e.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध मा0 आयोग के द्वारा आरोपित शास्ति की संख्या व धनराशि	
	f.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध मा0 आयोग के द्वारा की गयी टिप्पणी/अनुशासनात्मक संस्तुति की संख्या	
	g.	लोक सूचना अधिकारी के रूप में किये गये विशेष कार्यो का विवरण (अधिकतम 200 शब्दों में) –	

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिया गया उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य पूर्णतः सत्य है। आवेदन पत्र में दिया गया विवरण असत्य पाये जाने पर, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अधोहस्ताक्षरी का होगा।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

अधिकारी का नाम ....

पदनाम ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... के द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी के रूप में किये गये कार्यो का जो विवरण आवेदन पत्र में वर्णित किया गया है, वह सत्य है। मैं उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित करता हूँ।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नियंत्रक अधिकारी का नाम ....

पदनाम ....

नोट :– आवेदन पत्र अपने से कम से कम एक उच्च स्तर के विभागीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से सत्यापित करने के उपरान्त सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा अथवा आयोग के ईमेल **secy-uic@gov.in** के माध्यम से प्रेषित किया जाना है। आयोग कार्यालय को दिनांक 15.09.2024 तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उत्कृष्ठ कार्य करने वाले विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी के चयन की प्रकिया

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के मध्य प्राप्त अनुरोध पत्रों/प्रथम अपील के निस्तारण में विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी के द्वारा किये गये उत्कृष्ठ कार्यो के लिए पॉच लोक सूचना अधिकारियों और तीन विभागीय अपीलीय अधिकारियों को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

2. इस हेतु दिनांक 15.09.2024 तक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के नाम से पंजीकृत डाक/दस्ती अथवा आयोग के ईमेल secy-uic@gov.in से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। दिनांक 15.09.2024 के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

3. आवेदन पत्र अपने से कम से कम एक उच्च स्तर के विभागीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से सत्यापित करने के उपरान्त आयोग को प्रेषित किया जाना है।

4. प्राप्त आवेदन पत्रों का सर्वप्रथम सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा स्कूटनी की जाएगी। स्कूटनी के उपरान्त समिति के द्वारा संस्तुति किये गये 15 लोक सूचना अधिकारी और 9 विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम में से पॉच लोक सूचना अधिकारियों और तीन विभागीय अपीलीय अधिकारियों के नाम मा0 आयोग के द्वारा चयन किये जाएगें।

5. लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम की संस्तुति और अंतिम चयन का निर्धारण संबंधित अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या/प्रथम अपील की संख्या, उनके निस्तारण के विरूद्ध दर्ज प्रथम अपील/द्वितीय अपील/शिकायत के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अधिनियम के तहत किये गये विशेष कार्यो के आधार पर किया जाएगा।

6. चयनित अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा जोकि दिनांक 08.10.2024 से दिनांक 15.10.2024 के मध्य देहरादून में आयोजित किया जाएगा।

7. इस हेतु की जाने वाली यात्रा पर होने वाले व्यय का भुगतान (टी0ए0/डी0ए0) नियमानुसार अपने विभाग से लिया जाएगा।